

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-02

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

आनलाईन पंजीयन क्रमांक-FP/CG/ROAD/29577/2018

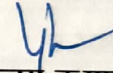
7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	कोंडागांव में बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी.-794 795, 777 एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.-793 में से 9.304 हेक्टेयर प्रस्तावित है।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कोंडागांव
(iii)	वन प्रभाग	दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हे.)	9.304 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन खण्ड विखलपुटी कक्ष क्रमांक 793RF, वन खण्ड कोंडागांव संरक्षित कक्ष क्रमांक 794P, 795P, एवं वन खण्ड संबलपुर कक्ष क्रमांक 777P,
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एफ.-4 मी. भी संलग्न किये जाये।	संलग्न है। (पेज क्र. 31 से 32 तक)
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण की संभावना नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित क्षेत्र वन सीमा में है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण	नहीं।

	से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो दें।	
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-01 कॉलम-02 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो, दें।	प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खंडों की संख्या प्रत्येक भू-खंड का आकार।	संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 798 की सीमा से 500 मी. दूरी पर लगा हुआ है, वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का भूखण्ड संख्या 1 है।
(ii)	(प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है। (पेज क्र. 7.7. से 7.8 तक)
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है। (पेज क्र. 4.7. से 7.8 तक)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना राशि 1,63,52,467/-रुपयें का तैयार की गई है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	उपयुक्त है। वनमंडलाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र पेज क्रमांक 82. में संलग्न है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम-07 (xi, xii), 08 और 09 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	प्रस्तावित क्षेत्र 40.00 हेक्टेयर से कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल :	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	10270 वर्ग किलोमीटर
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4084.077 वर्ग किलोमीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	प्रकरण - 36 रकबा - 680.627 हेक्टेयर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	— निरंक —

(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	-
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
(क)	वन भूमि।	2520.828 हेक्टेयर
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	-
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	कोंडागांव जिले के दक्षिण कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग -30 के चौड़ीकरण पश्चात यातायात साधनों के वृद्धि होने से सड़क दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावना बनी रहती है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं से बचने एवं आम जनताओं के आवागमन हेतु कोंडागांव बाईपास मार्ग का उपयोग किया जाना अतिसुविधा होगी। अतः प्रस्ताव अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

स्थान : कोंडागांव

दिनांक : 19/10/2022


 उत्तम कुमार गुप्ता
 (भा.व.से.)
 वनमंडलाधिकारी
 दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
 कोंडागांव